

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21 घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)  
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

79-धौलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य क्षेत्र की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्रीमती शोभा रानी कुशवाह (नाम) ग्राम जमालपुर पोस्ट शास्त्र नगर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (पता) जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई है।

उस सदन में

श्री बी.एल. कुशवाह को माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के उपरान्त सजा सुनाई गई तथा उसके उपरान्त विधानसभा सदस्य की सदस्यता रद्द होने के कारण उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई है।

स्थान :- धौलपुर

दिनांक :- 13 अप्रैल, 2017

  
(मनीष फौजदार)  
रिटर्निंग ऑफिसर  
79-धौलपुर विधान सभा क्षेत्र  
(S.D.M., धौलपुर)

Conduct Of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules and Order)

**FORM 21 D**

(See Rule 64)

(For Use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

\*Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** (State/Union territory) From **79 Dholpur** Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –

Smt. **Shobha Rani Kushavah** (Name) **Village - Jamalpur, Post- Shastra Nagar Teh. Saipau, District- Dholpur (Raj)** (Address) sponsored by **Bharatiya Janata Party** (name of the recognizes/registered political party ) has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the canceled Assembly membership of **Shri BANWARI LAL KUSHAWAH** due to sentenced by hon'ble court after conviction.

Election of **79 Dholpur** having been declared void .

Place :- Dholpur

Date- 13 April] 2017

(MANISH FAUZDAR)  
Returning Officer